ग्राम पंचायत हिंगोनिया बनाम रामकन्या बाई

अपील संख्या : 2020/77

07.08.2020	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित । एक प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील अपीलान्ट ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत श्री नन्दकिशोर के माध्यम से पेश किया और प्रार्थना पत्र में कथन किया कि उनके अभिभाषक ने हर पेशी पर उपस्थित होने से मना किया था और आवश्यकता होने पर बुलाने का आश्वासन दिया था । दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी निजी कार्य से कोटा से बहार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके इस कारण न्यायालय ने प्रार्थी व उनके अभिभाषक की अनुपस्थिति दर्ज कर उक्त अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी । कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन की वजह से प्रार्थी के लॉक डाउन खुलने के बाद अपने वकील साहब से दिनांक 12.06.2020 को मिलने पर ज्ञात हुआ कि उक्त अपील दिनांक 05.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गयी है । प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रार्थना पत्र बहस उभयपक्षीय सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की गलती सद्भाविक है । अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना आवश्यक है । आराजी चारागाह की है जिसमें पंचायत का हित–निहित है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जावे । ग्राम पंचायत हिंगोनिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती बीना नागर की ओर से जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के द्वारा पेश नहीं किया गया है । अप्राधिकृत व्यक्ति नन्दकिशोर के द्वारा बिना किसी अधिकार के पेश किया गया है । नन्दकिशोर वर्तमान में ग्राम पंचायत हिंगोनिया के सरपंच नहीं हैं । उनका कार्यकाल वर्ष 2015 में पूर्ण हो चुका है । उनके पश्चात् ग्राम पंचायत के चुनाव हुए और रामप्रसाद सरपंच निर्वाचित हुए । तत्पश्चात् दिनांक 22.01.2020 को बीना नागर सरपंच निर्वाचित हुई हैं । नन्दकिशोर द्वारा गलत रूप से स्वयं को सरपंच बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे खारिज किया जावे । लैण्ड होल्डर के द्वारा जो राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद की स्थिति बताई गई थी उसी के आधार पर दावा डिक्री किया गया है इस कारण दिनांक 08.01.2014 के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है । ग्राम पंचायत अपील को रेस्टोरेशन नहीं करवाना चाहती हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । अप्रार्थी कम 1 से 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नन्दकिशोर प्राधिकृत व्यक्ति नहीं है वो वर्तमान में सरपंच नहीं है उन्हें प्रार्थना

पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया है और विलम्ब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है । ग्राम पंचायत अपील को नहीं चलाना चाहते हैं । इस करण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में एस.एस.सी. 1994 (वोल्यू. I) पेज 01 उद्धरत की ।

विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी ने रिबटल में कथन किया कि बीना नागर इस प्रकरण में पक्षकार नहीं हैं जब तक वो इस प्ररकण में पक्षकार नहीं बनती हैं तब तक उन्हें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है ।

हमने प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र नन्दकिशोर के द्वारा ग्राम पंचायत हिंगोनिया की ओर से सरपंच के रूप में पेश किया गया है और बीना नागर के द्वारा सरपंच की हैसियत से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसके अनुसार दिनांक 22.01.2020 से वो ग्राम पंचायत हिंगोनिया की सरपंच हैं। इस तथ्य का कोई रिबटल प्रार्थी की ओर से पेश नहीं किया गया है और न ही उनके द्वारा बहस में यह कथन किया गया है कि वो अर्थात् नन्दकिशोर वर्तमान में ग्राम पंचायत के सरपंच हैं । यदि वर्तमान में नन्दकिशोर ग्राम पंचायत हिंगोनिया के सरपंच नहीं हैं तो उन्हें रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है । तद्नुसार प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन खारिज किया जाता है । ग्राम पंचायत की ओर से सक्षम प्राधिकारी अपील में रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । निर्णय की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/8/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2020.08.25 13:34:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: